

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एनवीबीडीसीपी/2019/


दिनांक:

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान।

विषय:- फोगिंग मशीन प्रशिक्षण हेतु कार्मिक भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 01.06.2019 को प्रातः 10.00 बजे निदेशालय परिसर के मुख्य बैठक हॉल में फोगिंग मशीन संचालकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अतः आप अपने जिले से 02 व्यक्तियों को जो फोगिंग मशीन का प्रशिक्षण प्राप्त कर जिले में फोगिंग मशीन संचालन का कार्य भविष्य में सम्पादित करेंगे को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

यदि आपके जिले से कोई भी कार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लेते है तो यह माना जावेगा कि आपके जिले को फोगिंग मशीन के संचालन से संबंधित प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है एवं भविष्य में आवश्यकता होने पर किसी भी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं होगी।



(डा० रवि प्रकाश शर्मा)
अति० निदेशक (ग्रा० स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 22/5/19

क्रमांक: एनवीबीडीसीपी/2019/ 329

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यकाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)।
3. निजी सचिव, निदेशक (आईईसी), मुख्यालय।
4. निजी सचिव, निदेशक (जन०स्वा०), मुख्यालय।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना शीघ्र करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम को भेजकर लेख है कि फोगिंग मशीन संचालन में प्रशिक्षित व्यक्ति को उक्त फोगिंग मशीन के प्रशिक्षण दिये जाने एवं कार्यक्रम के संचालन व्यवस्था को संभालने हेतु निर्देशित करें।
7. प्रभारी सर्वर को संबंधित को ई-मेल व वेबसाइट पर अपलोड करने वास्ते।
8. केयर टेकर, मुख्यालय को बैठक हॉल की उपलब्धता एवं व्यवस्था निर्धारण के संबंध में।
9. कार्यालय प्रति।


अति० निदेशक (ग्रा० स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर